प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिट याचिका सेवा सं 4181/21

राजकुमार गोनेकर (मृत) विधिक प्रतिनिधि के द्वारा

1 श्रीमती कृष्णा देवी गोनेकर पति स्वर्गीय राजकुमार गोनेकर, उम्र लगभग 60 वर्ष

2 – मनीष कुमार गोनेकर पिता स्वर्गीय राजकुमार गोनेकर, उम्र लगभग 39 वर्ष

3 – अनीश कुमार गोनेकर पिता स्वर्गीय राजकुमार गोनेकर, उम्र लगभग 37 वर्ष

सभी निवासी सुभाष कॉलोनी, कोलाढाना, बरारीपुरा रोड, छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

2– आयुक्त कार्यालय कृषि आयुक्त, विकास भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर,छत्तीसगढ़

----उत्तरवादी

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री एन. नाहा रॉय, अधिवक्ता

उत्तरवादी /राज्य की ओर से: श्री कंवलजीत सिंह सैनी, पैनल अधिवक्ता

(माननीय बिभू दत्ता गुरु,न्यायाधीश)

बोर्ड पर आदेश

02/04/2025

1. इस याचिका में दिनांक 15/02/2021 (अनुलग्नक पी/1) के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 (संक्षेप में, "1976 के नियम") के नियम 9 के तहत शक्ति का प्रयोग करके मूल याचिकाकर्ता राजकुमार गोनेकर (अब दिवंगत) की पेंशन से 9.23 लाख रुपये की राशि वसूलने की स्वीकृति दी गई है।

2. मूल याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 29/03/1990 को सहायक निदेशक के पद पर हुई थी। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता को वर्ष 2000 में उप निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया, किन्तु पदक्रम सूची में कुछ सुधारों के आधार पर, उसे सहायक निदेशक के पद पर पदावनत कर दिया गया। तत्पश्चात, न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, याचिकाकर्ता ने उप निदेशक के पद पर अपनी सेवाएँ प्रदान कीं और 31/01/2018 को अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के अनुसार, सेवा के दौरान, याचिकाकर्ता को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें गबन के संबंध में आरोप लगाया गया था, जिस पर याचिकाकर्ता ने अपना जवाब प्रस्तुत किया तथा कहा कि उसने कोई गबन नहीं किया है और उसने विधि के अनुसार कार्य किया है। हालांकि, इस दुखद तथ्य को समझे बिना, 13/12/2018 को याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसे अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। उसी के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने 25/01/2019 को अपना जवाब प्रस्तुत किया और अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया। हालांकि, उक्त तथ्यों को उसके सही परिप्रेक्ष्य में समझे बिना, याचिकाकर्ता की पेंशन से 9.23 लाख रुपये की राशि वसूलने की अनुमति देते हुए आदेश पारित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आक्षेपित आदेश अवैध और मनमाने तरीके से पारित किया गया है और वह भी विधि की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, इसलिए इसे अभिखंडित किया जाना चाहिए।

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विधि की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आदेश पारित किया गया है और इस प्रकरण में, याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति से बहुत पहले, वर्ष 2016–17 में सरकारी खजाने के दुरुपयोग के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं और याचिकाकर्ता का जवाब मिलने के बाद कार्यवाही की गई है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यवाही की गई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राशि की वसूली के लिए, प्रकरण राज्य सरकार के समक्ष भेज दिया गया है और याचिकाकर्ता से उपरोक्त राशि वसूलने की अनुमति मांगी गई है, जिसमें राज्य सरकार ने 1976 के नियम 9 के तहत शक्ति का प्रयोग करके याचिकाकर्ता की पेंशन से 9.23 लाख रुपये की राशि की वसूली की स्वीकृति दी है। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश उपयुक्त तथा उचित है और इस न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. प्रथम दृष्टया, यहां यह उल्लेख करना उल्लेखनीय है कि इस याचिका के लंबित रहने के दौरान, मूल याचिकाकर्ता की मृत्यु 20/06/2024 को हो गई थी और इसलिए, उनके विधिक उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है।

7. सुविधा के लिए, 1976 के नियम 9 को उद्धृत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:–

"9. राज्यपाल का पेंशन रोकने या वापस लेने का अधिकार.–

(1) राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह स्थायी रूप से या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए पेंशन या उसके किसी भाग को रोके या वापस ले ले, और यदि किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में पेंशनभोगी अपनी सेवा अवधि के दौरान, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियोजन पर की गई सेवा भी शामिल है, गंभीर कदाचार या लापरवाही का दोषी पाया जाता है, तो वह सरकार को हुई किसी भी आर्थिक हानि की पूरी या आंशिक राशि पेंशन से वसूलने का आदेश दे सकता है: परंतु कि कोई भी अंतिम आदेश पारित करने से पहले राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा: परंतु कि जहां पेंशन का कोई भाग रोका या वापस लिया जाता है, वहां ऐसी पेंशन की राशि "[सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम पेंशन] से कम नहीं की जाएगी:

(2) (क) विभागीय कार्यवाहियाँ [x x x], यदि सरकारी सेवक के सेवाकाल के दौरान, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पहले या उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान, संस्थित की गई हों, तो सरकारी सेवक की अंतिम सेवानिवृत्ति के

पश्चात्, इस नियम के अधीन कार्यवाही मानी जाएँगी और जिस प्राधिकारी द्वारा उन्हें प्रारंभ किया गया था, उसी प्रकार जारी और समाप्त की जाएँगी, मानो सरकारी सेवक सेवा में बना रहा हो: परन्तु जहाँ विभागीय कार्यवाहियाँ राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा संस्थित की जाती हैं, वहाँ वह प्राधिकारी अपने निष्कर्षों के संबंध में एक रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा।

(ख) विभागीय कार्यवाहियाँ, यदि सरकारी सेवक के सेवाकाल के दौरान, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पहले या उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान, संस्थित नहीं की गई हों, तो:–

(i) राज्यपाल की स्वीकृति के बिना संस्थित नहीं की जाएँगी;

(ii) ऐसी किसी घटना के संबंध में नहीं होंगी जो ऐसी संस्थित होने से चार वर्ष से अधिक पूर्व घटित हुई हो; और

[(iii) ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान पर, जैसा सरकार निर्देशित करे, विभागीय कार्यवाहियों पर लागू प्रक्रिया के अनुसार संचालित किया जाएगा:–––

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(क) जिसमें सरकारी सेवक के संबंध में उसकी सेवा के दौरान सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दिया जा सकता है, यदि उसकी पेंशन या उसके किसी भाग को स्थायी रूप से या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए रोकने या वापस लेने का प्रस्ताव है: या

(ख) जिसमें सरकारी सेवक के संबंध में उसकी सेवा के दौरान लापरवाही या आदेशों के उल्लंघन के कारण सरकार को हुई किसी भी आर्थिक हानि की पूरी या आंशिक राशि की उसके वेतन से वसूली का आदेश दिया जा सकता है, यदि उसकी पेंशन से सरकार को हुई किसी भी आर्थिक हानि की पूरी या आंशिक राशि की वसूली का आदेश देने का प्रस्ताव है।]

(3) कोई भी न्यायिक कार्यवाही, यदि सरकारी कर्मचारी के सेवाकाल के दौरान, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पहले या उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान, संस्थित नहीं की गई हो, तो ऐसे वाद हेतुक के संबंध में या ऐसी संस्थिती से चार वर्ष से अधिक पूर्व घटित किसी घटना के संबंध में संस्थित नहीं की जाएगी।

(4) ऐसे शासकिय कर्मचारी के प्रकरण में, जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर या अन्यथा सेवानिवृत्त हो गया है और जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही संस्थित की गई है या जहां उप–नियम (2) के अधीन विभागीय कार्यवाही जारी है, वहां नियम 64 में यथाविहित अनंतिम पेंशन और मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति उपदान, जैसा भी मामला हो, स्वीकृत किया जाएगा:

परंतु कि जहां विभागीय कार्यवाही शुरू होने से पहले सरकारी कर्मचारी को पेंशन अंतिम रूप से स्वीकृत कर दी गई है, वहां राज्यपाल लिखित आदेश द्वारा ऐसी विभागीय कार्यवाही शुरू होने की दिनांक से इस प्रकार स्वीकृत पेंशन का पचास प्रतिशत रोक सकेगा, परंतु कि ऐसी रोक के बाद देय पेंशन (सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम पेंशन) से कम न हो जाए: आगे यह भी प्रावधान है कि जहां 25 अक्टूबर, 1978 से पहले विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है, वहां पहला परंतुक प्रभावी होगा क्योंकि इसमें "ऐसी कार्यवाही शुरू होने की दिनांक से प्रभावी" शब्दों के स्थान पर "पूर्वोक्त दिनांक से तीस दिन के बाद की दिनांक से प्रभावी" शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे:

परंतु कि––

(क) यदि विभागीय कार्यवाही उसके शुरू होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है, तो रोकी गई पेंशन की पचास प्रतिशत राशि एक वर्ष की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति पर पुनः स्थापित हो जाएगी;

(ख) यदि विभागीय कार्यवाही उसके शुरू होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है, तो रोकी गई पेंशन की पूरी राशि दो वर्ष की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति पर पुनः स्थापित हो जाएगी; तथा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ग) यदि विभागीय कार्यवाही में पेंशन रोकने या वापस लेने का अंतिम आदेश पारित किया जाता है या कोई वसूली का आदेश दिया जाता है, तो आदेश विभागीय कार्यवाही शुरू होने की दिनांक से प्रभावी माना जाएगा और रोकी गई पेंशन की राशि नियम 43 के उपनियम (5) में निर्दिष्ट सीमा के अधीन अंतिम आदेश के अनुसार समायोजित की जाएगी।

(5) जहां सरकार पेंशन रोकने या वापस न लेने का निर्णय लेती है, किन्तु पेंशन से आर्थिक हानि की वसूली का आदेश देती है, वहां वसूली सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि को अनुमन्य पेंशन के एक–तिहाई से अधिक दर पर नहीं की जाएगी।

(6) इस नियम के प्रयोजन के लिए–

(क) विभागीय कार्यवाही उस तिथि को संस्थित मानी जाएगी, जिस तिथि को सरकारी सेवक या पेंशनभोगी को आरोपों का विवरण जारी किया जाता है, या यदि सरकारी सेवक को किसी पूर्व तिथि से निलंबित किया गया है, तो उस तिथि को; तथा

(ख) न्यायिक कार्यवाही निम्नलिखित तिथि को संस्थित मानी जाएगी–

(i) दाण्डिक कार्यवाही के प्रकरण में, उस तिथि को जिस तिथि को पुलिस अधिकारी द्वारा परिवाद या रिपोर्ट, जिसका मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, की जाती है, और

(ii) सिविल कार्यवाही के प्रकरण में, उस तिथि को जिस तिथि को न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाता है।"

8. यह प्रश्न कि क्या पेंशन या उसके किसी भाग को रोकते समय याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है या नहीं।

9. **पंजाब राज्य बनाम के.आर. एरी और सोभाग राय मेहता एवं अन्य** संबंधित प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:–

"20. अब हमारे विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या पेंशन में कटौती करने वाले आदेशों को इस आधार पर रद्द कर दिया जाना चाहिए कि अधिकारियों को कारण बताने का उचित अवसर नहीं दिया गया। इस विवाद्यक पर विधि संदेह में नहीं है। जहाँ कोई निकाय या प्राधिकरण न्यायिक हो या जहाँ उसे व्यक्त या निहित प्रावधान के कारण अधिकारों से संबंधित किसी मामले का न्यायिक रूप से निर्णय करना हो, वहाँ प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत लागू होता है। देखें: बॉम्बे प्रांत बनाम कुसलदास एस. आडवाणी, 1950 एससीआर 621 पृष्ठ 725 = (एआईआर 1950 एससी 222) और उच्च विद्यालय एवं इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद बनाम घनश्याम दास गुप्ता, 1962 अनुपूरक (3) एससीआर 36 (एआईआर 1962 एससी 1110)। कल्याणकारी राज्य में प्रशासनिक निर्णयों के प्रसार के साथ, अब इंग्लैंड और इस देश, दोनों में न्यायालयों द्वारा यह और भी अधिक मान्यता प्राप्त हो गई है, (विशेषकर 1964 एसी 40 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के निर्णय के बाद) कि जहाँ यदि कोई निकाय या प्राधिकरण विशिष्ट रूप से प्रशासनिक है, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का भी उपयोग किया जा सकता है यदि उस निकाय या प्राधिकरण का निर्णय व्यक्तिगत अधिकारों या हितों को प्रभावित करता है और विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उस निकाय या प्राधिकरण द्वारा सुनवाई का उचित अवसर न देना अनुचित होगा। देखें उड़ीसा राज्य बनाम डॉ. (कुमारी) बिनापानी देई, (1967) 2 एससीआर 625 = (एआईआर 1967 एससी 1269) और एच.के. (एन इन्फैंट) के मामले में, (1967 2 क्यूबीडी 617)। पहले प्रकरण में पृष्ठ 628 पर निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:

"राज्य द्वारा किसी व्यक्ति के निहित अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह रखने का आदेश केवल न्याय और निष्पक्षता के मूल नियमों के अनुसार ही दिया जा सकता है। यह सही है कि निर्णायक प्राधिकारी, एक न्यायाधीश की स्थिति में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नहीं होता जिसे प्रतिद्वंदी पक्षों के बीच किसी मामले पर निर्णय देने के लिए बुलाया जाता है, और न्यायिक प्रक्रिया के स्वरूपों के सख्त अनुपालन पर जोर नहीं दिया जा सकता है। हालांकि, उसका यह कर्तव्य है कि वह उस व्यक्ति को, जिसके खिलाफ जांच की जा रही है, अपना पक्ष रखने या बचाव प्रस्तुत करने का अवसर दे और प्राधिकारी के पास मौजूद किसी भी साक्ष्य को सही करने या उसका खंडन करने का अवसर दे, जिस पर उसके पूर्वाग्रह के लिए भरोसा किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए, जिन व्यक्तियों के विरुद्ध जाँच की जा रही है, उन्हें उस प्रकरण की जानकारी दी जानी चाहिए जिसके लिए उन्हें बुलाया गया है, और उसके समर्थन में साक्ष्य भी। यह नियम कि जिस पक्ष के विरुद्ध आदेश पारित किया जाना है, वह सुनवाई का हकदार है, न्यायिक न्यायाधिकरणों और नागरिक परिणामों से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकार प्राप्त व्यक्तियों के निकायों पर समान रूप से लागू होता है। यह हमारी संवैधानिक व्यवस्था के मूलभूत नियमों में से एक है कि प्रत्येक नागरिक को राज्य या उसके अधिकारियों द्वारा मनमाने अधिकार के प्रयोग से सुरक्षा प्राप्त है। इसलिए, न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य, निष्पादित किए जाने वाले कार्य की प्रकृति से ही उत्पन्न होगा, यदि उसे अतिरिक्त रूप से प्रदर्शित करने की आवश्यकता न हो। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय लेने और निर्धारण करने की शक्ति है, तो न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य ऐसी शक्ति के प्रयोग में निहित है। यदि न्याय के मूल सिद्धांतों की उपेक्षा की जाती है और किसी व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित किया जाता है, तो वह आदेश अमान्य है। यह विधि के शासन की एक मूल अवधारणा है और इसका महत्व किसी विशेष मामले में निर्णय के महत्व से कहीं अधिक है।

"

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. ये टिप्पणियाँ एक ऐसे प्राधिकारी के संदर्भ में की गई थीं जिसे विशिष्ट रूप से प्रशासनिक कहा जा सकता है। पृष्ठ 630 पर यह टिप्पणी की गई थी:

"यह सत्य है कि आदेश प्रकृति में प्रशासनिक है, लेकिन जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, एक प्रशासनिक आदेश, जिसमें नागरिक परिणाम शामिल हों, भी राज्य के मामले के बारे में प्रथम उत्तरवादी को सूचित करने, उसके समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने और प्रथम प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देने, साक्ष्यों का सामना करने या स्पष्टीकरण देने के बाद, प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप पारित किया जाना चाहिए।"

11. इतना ही नहीं, **रामेश्वर यादव बनाम भारत संघ एवं अन्य प्रकरण में,** पेंशन रोकने के प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने यह निर्णय दिया है कि सक्षम प्राधिकारी इस प्रश्न पर विचार करेगा कि पेंशन रोकी जानी चाहिए या नहीं। रिपोर्ट के प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार हैं:–

"4. इन प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी को इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है कि पेंशन को पूर्णतः या आंशिक रूप से निलंबित किया जाना चाहिए या नहीं। इस प्रश्न का निर्धारण करते समय संवितरण अधिकारी को अपराध की प्रकृति, अपराध के घटित होने की संभावना वाली परिस्थितियों और अन्य संबद्ध प्रकरण पर विचार करना होगा। अधिकारी को पेंशन के भुगतान को निलंबित करने की स्थिति में व्यक्ति के आश्रितों पर पड़ने वाले कष्ट पर भी विचार करना होगा। वर्तमान प्रकरण में, आक्षेपित आदेश यह नहीं दर्शाता है कि सक्षम प्राधिकारी ने इस प्रश्न पर विचार किया कि पेंशन को पूर्णतः या आंशिक रूप से निलंबित किया जाना चाहिए या नहीं, बल्कि प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता की कारावास अवधि के लिए पेंशन की पूरी राशि को निलंबित करने के आदेश यंत्रवत् जारी कर दिए।

5. इसके अलावा, याचिकाकर्ता को दी गई पेंशन की राशि 108 रुपये थी, जो एक नगण्य राशि है और संभवतः याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों के भरण–पोषण के लिए पर्याप्त नहीं होगी। सक्षम प्राधिकारी ने इनमें से किसी भी पहलू पर ध्यान नहीं दिया। इस बात का कोई कारण दर्ज नहीं किया गया है कि पूरी पेंशन को निलंबित करना क्यों आवश्यक था। इसलिए, यह आक्षेपित आदेश विधि के तहत मान्य योग्य नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. यह सर्वमान्य स्थिति है कि ग्रेच्युटी और पेंशन कोई वरदान नहीं हैं। एक कर्मचारी अपनी लंबी, निरंतर, निष्ठावान और निष्कलंक सेवा के बल पर ये लाभ अर्जित करता है। इस प्रकार, यह एक कठिन परिश्रम से अर्जित लाभ है जो एक कर्मचारी को प्राप्त होता है और "संपत्ति" के स्वरूप का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300–ए के प्रावधानों के अनुसार, संपत्ति के इस अधिकार को कानूनी प्रक्रिया के बिना नहीं छीना जा सकता है।

13. किसी व्यक्ति को विधिक अधिकार के बिना इस पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता, जो संविधान के अनुच्छेद 300–ए में निहित संवैधानिक आदेश है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलकर्ता राज्य सरकार द्वारा बिना किसी वैधानिक प्रावधान और प्रशासनिक निर्देश के तहत पेंशन या ग्रेच्युटी या यहाँ तक कि अवकाश नकदीकरण का एक हिस्सा वापस लेने का प्रयास स्वीकार्य नहीं है।

14. 1976 के नियमों के नियम 9 के मात्र अवलोकन से ही यह स्पष्ट है कि यदि किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में संबंधित कर्मचारी दोषी पाया जाता है, तो सरकार को हुई किसी भी आर्थिक हानि की पूरी या आंशिक राशि की पेंशन से वसूली का आदेश दिया जा सकता है। हालाँकि, इस प्रकरण में, कारण बताओ नोटिस और याचिकाकर्ता के उत्तर के अलावा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस तथ्य को स्थापित करे कि याचिकाकर्ता

किसी न्यायिक या अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषी पाया गया है। इस प्रकार, नियम 9 के तहत शक्ति का प्रयोग करके वसूली का आदेश विधि की दृष्टि में बिल्कुल भी मान्य योग्य नहीं है।

15. उपरोक्त कारणों के तहत और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, दिनांक 15/02/2021 के अनुलग्नक पी/1 के आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि आक्षेपित आदेश के अनुसरण में याचिकाकर्ता की पेंशन से जो भी राशि काटी गई है, उसे इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं, जो मूल याचिकाकर्ताओं के विधिक उत्तराधिकारी हैं, को वापस कर दिया जाए।

16. परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/–
(बिभु दत्ता गुरु)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur